

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं०-०७/२०१६

यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, बी०एस०सिटी इंडस्ट्रीयल इस्टेट ब्रांच
बनाम्

मेसर्स पूनम भेराईटी स्टोर

—: आदेश :-

11.10.2018

प्राधिकृत पदाधिकारी, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, बी०एस०सिटी इंडस्ट्रीयल इस्टेट ब्रांच, बालीडीह, बोकारो द्वारा धारा 14 (1 and 2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत मेसर्स पूनम भेराईटी स्टोर, प्रो० राकेश कुमार सिंह पिता श्री राम नरेश सिंह, सा०-103 राम नगर कॉलोनी, चास, बोकारो के विरुद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप न्यायालय में उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ किया गया एवं सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित करते हुए उभय पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए सुगित किया गया।

प्रथम पक्ष यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, बी०एस० सिटी इंडस्ट्रीयल इस्टेट ब्रांच, बालीडीह, बोकारो का ओर से मुख्य प्रबंधक द्वारा उपस्थित दजे की गई और अपना पक्ष रखा। उनके द्वारा कहा गया कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (Equitable mortgage of land and building bearing Deed no. 4125 dated- 19.06.1992 bearing Khata no. 50, plot no.-69, PS No. 30 Mouza- Bhawanipur Solagidih Village-TEACHERS COLONY PS-Chas, Bokaro covering land 5.50 decimal and structures thereon in the name of Smt. Shakuntala Devi w/o Ram Naresh Singh.) को गिरवी रखते हुए बैंक से 15,61,000/- (पंद्रह लाख एकसठ हजार) रुपये ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋण की वापसी में अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण ऋणकर्ता का खाता दिनांक-30.06.2015 को ही एन०पी०ए० हो गया है। वर्तमान में ऋणकर्ता पर कुल रुपये 15,90,349.00/- एवं ब्याज के साथ अन्य शुल्क का बकाया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजूद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया। फलस्वरूप, SARFAESI



ACT-2002 की धारा 14 (1 and 2) के तहत विपक्षी की सम्पत्ति पर दखल-कब्जा प्राप्त करने में शांति व्यवस्था भंग नहीं हो इसके लिए उनके द्वारा पुलिस बल की माँग की गई है।

द्वितीय सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित। पिछली तिथि को उनके द्वारा OTS के माध्यम से एकाउन्ट को ठीक करने लिए एक माह समय की माँग की गई थी।

मुख्य प्रबंधक की दलील एवं अभिलेख में संधारित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी के द्वारा ऋण की राशि वापस करने के लिए अब तक कोई ठोस पहल नहीं किया गया और न ही उनके द्वारा अब तक ऐसा कोई आधार/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रतीत हो कि उनके द्वारा ऋण की राशि वापस कर दी जाएगी, जबकि पिछली तिथि को उन्हें OTS के माध्यम से एकाउन्ट को ठीक करने लिए एक माह समय भी दिया गया था। उसके बाद भी विपक्षी का सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित रहना उनके ऋण न चुकाने की मंशा को दर्शाता है।

वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT-2002 की धारा 14(1 एवं 2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, बी0एस0 सिटी इंडस्ट्रीयल इस्टेट ब्रांच, बालीडीह, बोकारो द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि-व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, चास आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।